

مرسوم سلطاني رقم (٧٢ / ٩٨)

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني

رقم (٩٦/١٠١) .

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان

وحكومة جمهورية الهند الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٢ ابريل ١٩٩٧ م .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

مادة (١) : التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة

سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند المشار اليها .

مادة (٢) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من

تاريخ صدوره .

صدر في : ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ م

اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند (يشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين) . ورغبة منهما في خلق الظروف الايجابية لتعزيز قدر اكبر من الاستثمارات بواسطة المستثمرين من أحد الدولتين في اقليم الدولة الاخرى .
وادراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة ، لهذه الاستثمارات بموجب اتفاقية دولية من شأنه تشجيع المبادرات التجارية الفردية وزيادة الرخاء في كلا الدولتين .
فقد اتفقتا كما يلي :-

المادة الاولى

التعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية :-

(أ) تعبير شركات يعني :

١ - فيما يتعلق بالسلطنة المؤسسات والشركات والجمعيات المسجلة أو المنشأة في السلطنة بموجب القانون الساري في سلطنة عمان .

٢ - فيما يتعلق بالهند المؤسسات والشركات والجمعيات المسجلة أو المنشأة أو المؤسسة في الهند طبقا للقوانين السارية في أي جزء من الهند .

(ب) الاستثمار يعني أي نوع من الأصول أسست أو أحرزت طبقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي تقام الاستثمارات في اقليمه شاملة التغييرات في شكل هذه الاستثمارات وهي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر :-

١ - الملكية المنقولة وغير المنقولة بجانب الحقوق الاخرى مثل الرهونات ، والضمانات الحيازية أو حقوق الحجز .

٢ - الحصص والاسهم والسندات في الشركات والاشكال الاخرى من المصالح في الشركات .

٣ - حق المطالبة بالأموال أو بأي أداء بموجب عقد له قيمة مالية .

٤ - حقوق الملكية الفكرية طبقاً للقوانين ذات الصلة والخاصة بالطرف المتعاقد المعني .

٥ - الامتيازات التجارية التي تمنح طبقاً للقانون أو بموجب عقد شاملة إمتيازات البحث عن النفط والمعادن الأخرى وإستخراجها .

(ج) كلمة « المستثمرون » تعني أي مواطن أو شركة من أي من الطرفين المتعاقدين .

(د) كلمة « مواطنون » تعني :

١ - فيما يتعلق بالسلطنة الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية العمانية طبقاً لقوانين السلطنة .

٢ - فيما يتعلق بالهند الأشخاص الذين يستمدون وضعهم القانوني كمواطنين هنود بموجب القانون الساري في الهند .

(هـ) كلمة « عائدات » تعني العائدات النقدية المتحصلة من الاستثمار مثل الأرباح ، الفوائد ، أرباح رأس المال والأسهم والأتاوات والرسوم .

(و) كلمة إقليم تعني :

١- فيما يتعلق بالسلطنة :

الأراضي والمناطق البحرية والمياه الإقليمية وما ورائها والتي تمارس عليها السلطنة حقوق السيادة طبقاً لقانونها المحلي والقانون الدولي .

٢ - فيما يتعلق بالهند :

إقليم جمهورية الهند شاملاً مياهها الإقليمية والمجال الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية الأخرى شاملة المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري والذي تمارس فيه جمهورية الهند حقوق السيادة أو الولاية المطلقة طبقاً لقوانينها السارية واتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢ الخاصة بقانون البحار والقانون الدولي .

المادة الثانية نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على كافة الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعترف بها طبقاً لقوانينه ولوائحه سواء تمت قبل أو بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية .

المادة الثالثة تشجيع وحماية الاستثمار

- (١) يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وتهيئة الظروف الايجابية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لتنفيذ استثماراتهم في اقليمه وإجازة هذه الاستثمارات طبقاً لقوانينه .
- (٢) استثمارات وعائدات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين يجب أن تمنح في كافة الأوقات المعاملة العادلة والمنصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المادة الرابعة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية

- (١) على كل طرف متعاقد أن يقدم لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر المعاملة التي لا تقل افضلية عن تلك التي يقدمها الى استثمارات مستثمريه او استثمارات المستثمرين من أي دولة ثالثة .
- (٢) بالاضافة الى ذلك ، فان على كل طرف متعاقد أن يقدم للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ، فيما يتعلق بعائداتهم من الاستثمارات ، المعاملة التي لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها للمستثمرين من أي دولة ثالثة .
- (٣) لا تفسر احكام الفقرة (١) والفقرة (٢) اعلاه لالزام أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر فوائد أي معاملة او افضلية أو مزايا ناتجة عن :-

- (أ) أي اتحاد جمركي أو أي اتفاقية دولية مشابهة قائمة أو ستنشأ في المستقبل ويكون أو قد يصبح الطرف المتعاقد عضواً فيها .
- (ب) أي مسألة تتصل كلياً أو بصفة أساسية بالضرائب .

المادة الخامسة نزح الملكية

- (١) لا يجوز أن يقوم أي طرف متعاقد بتأميم أو مصادرة استثمارات المستثمرين من أي الطرفين أو إخضاعها إلى إجراءات لها نفس أثر التأميم أو نزح الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ «نزح الملكية») وذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر باستثناء ما تستلزمه المصلحة العامة طبقاً للقانون وبدون تمييز ومقابل تعويض عادل ومنصف . وأن يعادل هذا التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات التي نزع ملكيتها مباشرة قبل نزح الملكية أو قبل أن يصبح نزح الملكية الوشيك الحدوث معروفاً للجمهور أيهما يأتي أولاً وأن يتضمن فائدة بسعر عادل ومنصف وذلك حتى تاريخ الدفع ، وأن يتم ذلك بدون تأخير غير مبرر وأن ينفذ فوراً ويكون قابلاً لحرية التحويل .
- (٢) يكون للمستثمر المتضرر الحق ، بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية ، في إعادة النظر في دعواه وتقييم استثماراته بواسطة هيئة قضائية أو أي هيئة مستقلة أخرى لدى ذلك الطرف وذلك طبقاً للمبادئ المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة وعلى الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية أن يقوم بكل المساعي اللازمة لضمان تنفيذ إعادة النظر المشار إليها في الحال .
- (٣) عندما يقوم طرف متعاقد بمصادرة أصول شركة تكون منشأة ومؤسسة بموجب القانون الساري في أي جزء من إقليمه والتي يملك فيها المستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أسهماً فإنه يجب عليه ضمان أن أحكام الفقرة (١) من هذه المادة تطبق بالدرجة اللازمة لضمان التعويض العادل والمنصف فيما يتعلق باستثمارات هؤلاء المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر والذين يعتبرون مالكيين لهذه الأسهم .

المادة السادسة التعويض عن الخسائر

المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين الذين يتعرضون للخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر نتيجة للحرب او النزاع المسلح او حالة الطوارئ على المستوى القومي او الاضطرابات المدنية ، فإنه يجب على هذا الطرف المتعاقد الآخر أن يمنح هؤلاء المستثمرين فيما يتعلق برد الحقوق ، التعويض أو أي تسوية أخرى المعاملة التي لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو المستثمرين من أي دولة ثالثة . ويجب أن تتمتع المدفوعات الناتجة بحرية التحويل .

المادة السابعة تحويل الاستثمار والعائدات

(١) على كل طرف متعاقد ان يسمح بتحويل كافة أموال المستثمر من الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالإستثمار في اقليمه وأن تكون هذه الأموال قابلة للتحويل بحرية دون اي تأخير غير مبرر . وهذه الاموال قد تشمل على :

- (أ) رأس المال ومبالغ رأس المال الاضافية المستخدمة في المحافظة على الاستثمار وزيادته .
- (ب) صافي أرباح التشغيل شاملا ارباح الأسهم والفوائد وذلك بالتناسب مع الحصة التي يملكونها .
- (ج) سداد اي قرض شاملا الفائدة فيما يتعلق بالاستثمار .
- (د) سداد الاتاوات وأتعاب الخدمات المتصلة بالاستثمار .
- (هـ) العائدات من مبيعات اسهمهم .
- (و) العائدات المتحصلة بواسطة المستثمرين في حالة البيع أو البيع الجزئي او التصفية .
- (ز) مستحقات المواطنين من أحد الطرفين المتعاقدين والعاملين في مجال الاستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

(٢) لا يؤثر شئ مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على تحويل التعويض بموجب المادة (٦) من هذه الاتفاقية .

(٣) اذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين فان تحويل العملة بموجب الفقرة (١) من هذه الاتفاقية يتم باستعمال عملة الاستثمار الاصيلي او اي عمله اخرى قابلة للتحويل . وهذا التحويل يكون بسعر الصرف السائد في السوق في يوم التحويل .

المادة الثامنة

الحلول

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين بضمان أي تعويض مقابل الأخطار غير التجارية فيما يتعلق بأي استثمار بواسطة أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقام بالدفع لهؤلاء المستثمرين فيما يتعلق بمطالبهم بموجب هذه الاتفاقية فإن على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر بحق الطرف المتعاقد الأول أو جهازه المعين بموجب الحلول أن يمارس حقوق ويتولى مطالبات هؤلاء المستثمرين . ويجب أن لا تتجاوز الحقوق والمطالبات موضع الحلول الحقوق أو المطالبات الأصلية لهؤلاء المستثمرين .

المادة التاسعة

تسوية المنازعات بين أحد المستثمرين

وأحد الطرفين المتعاقدين

(١) أي نزاع ينشأ بين مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار بموجب هذه الاتفاقية تتم تسويته ودياً ما أمكن عبر المفاوضات بين طرفي النزاع .

(٢) اذا لم يمكن تسوية النزاع ودياً خلال فترة ستة أشهر فإنه في حالة موافقة الطرفين بحال النزاع :

أ) للتسوية طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي قبل الاستثمارات من الطرف

المتعاقد الآخر من خلال أجهزته القضائية والإدارية المختصة ، أو

ب) للتصالح الدولي بموجب قواعد التصالح الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون

التجارة الدولي .

(٢) اذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق حول اجراءات تسوية النزاع الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة أو اذا تم احالة النزاع الى التصالح ولكن تمت انتهاء اجراءات التصالح دون توقيع اتفاقية للتسوية فانه يجوز احالة النزاع الى التحكيم . وتكون اجراءات التحكيم كما يلي :-

أ) اذا كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المستثمرون والطرف المتعاقد الاخر كلاهما عضوين في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والافراد من دول اخرى لعام ١٩٦٥ وقبل المستثمر كتابةً احالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فان ذلك النزاع يجب ان يحال الى هذا المركز .

ب) اذا وافق طرفا النزاع بموجب التسهيلات الاضافية للإدارة والتصالح والتحكيم واجراءات تقصي الحقائق .

ج) هيئة تحكيم خاصة بواسطة أي طرف في النزاع بواسطة اي من طرفي النزاع طبقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام ١٩٧٦م ، وذلك في ضوء التعديلات التالية :-

١ - بموجب المادة السابعة من قواعد التحكيم فان سلطة التعيين يجب أن تكون للرئيس أو لنائب الرئيس أو أقدم قاض في محكمة العدل الدولية والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين . والمحكم الثالث يجب أن لا يكون مواطناً من أي من الطرفين المتعاقدين .

٢ - يعين كل طرف متعاقد ممثله في المحكمة خلال فترة شهرين .

٣ - يتم اصدار قرار التحكيم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

٤ - تحدد هيئة التحكيم أسس قرارها وتقدم الأسباب بناء على طلب أي من الطرفين .

المادة العاشرة المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

- (١) المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها ما أمكن عن طريق المفاوضات .
- (٢) اذا لم يمكن تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشوء النزاع فان النزاع يحال الى هيئة تحكيم بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين .
- (٣) يتم تشكيل هيئة التحكيم بالنسبة لكل حالة على حدة على النحو التالي . يقوم كل طرف متعاقد خلال شهرين من استلام طلب التحكيم بتعيين محكم على ان يقوم هذان المحكمان باختيار مواطن من دولة ثالثة يتم تعيينه رئيسا لهيئة التحكيم بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين . ويجب أن يتم تعيين الرئيس خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الاخرين .
- (٤) اذا لم يتم اجراء التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة في الفقرة (٣) يجوز ان يقوم كل طرف متعاقد وفي حالة عدم وجود اي اتفاقية اخرى بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة واذا تصادف ان كان الرئيس من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين او وجد ما يمنعه من تأدية المهمة المذكورة تتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة واذا تصادف أن نائب الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يمنعه من تأدية المهمة المذكورة تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين لاجراء التعيينات اللازمة .
- (٥) تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل اي طرف متعاقد مصاريف عضوه في هيئة التحكيم وتمثيله في اجراءات الدعوى ، ويتم تحمل مصاريف الرئيس والمصاريف المتبقية مناصفة بين الطرفين المتعاقدين . ويجوز ان توجه هيئة التحكيم في قرارها ان تحمل احد الطرفين نسبة اعلى من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين . وتحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها .

المادة الحادية عشر دخول وإقامة الموظفين

يقوم الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه المطبقة من وقت لآخر بشأن دخول والإقامة المؤقتة لغير المواطنين بالسماح بدخول الأشخاص الطبيعيين من الطرف المتعاقد الآخر والعاملين الذين تستخدمهم شركات الطرف المتعاقد الآخر في الدخول والإقامة في إقليمه بفرض المشاركة في الأنشطة المرتبطة بالاستثمارات .

المادة الثانية عشر القوانين المعمول بها

(١) باستثناء ما ورد ذكره في هذه الاتفاقية فإن كافة الاستثمارات تكون محكومة بالقوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد الذي تمت فيه هذه الاستثمارات .

(٢) مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة فإنه ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرف المتعاقد المضيف من اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية مصالحه الأمنية الضرورية أو في ظروف الطوارئ القصوى وذلك طبقاً لقوانينه التي تطبق بصورة عادية ومعقولة وعلى أسس غير تمييزية .

المادة الثالثة عشر تطبيق القواعد الأخرى

إذا كانت احكام القانون لدى أي طرف متعاقد أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي تتم في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى الاتفاقية الحالية تتضمن احكاماً سواء كانت عامة أو محددة تستحق بموجبها استثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل من المعاملة المنصوص عنها في الاتفاقية الحالية ، فإن هذه القواعد وللدرجة التي تكون فيها أكثر افضلية تسرد على الاتفاقية الحالية .

المادة الرابعة عشر
بدء العمل بالاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ويبدأ العمل بها في تاريخ تبادل وثائق التصديق .


المادة الخامسة عشر
مدة سريان الاتفاقية وانهاؤها

(١) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة سنوات وبعد ذلك تعتبر مجددة تلقائيا الا اذا قام احد الطرفين المتعاقدين بتقديم اخطار مكتوب الى الطرف المتعاقد الاخر حول رغبته في انهاء الاتفاقية وتعتبر الاتفاقية ملغية بعد عام من تاريخ استلام الاخطار الكتابي .

(٢) مع عدم الاخلال بانهاء هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (١) من هذه المادة فان الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين عاما اخرى من تاريخ انهاؤها فيما يتعلق بالاستثمارات التي قامت أو تم الحصول عليها قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية .

اشهادا لما تقدم فان الموقعين على هذه الاتفاقية والمفوضين من قبل حكومتيهما قاما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت في نيودلهي بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧م من نسختين اصليتين كل منها باللغات العربية والهندية والانجليزية وكل النسخ لها نفس الحجية القانونية .
في حالة الخلاف يعتد بالنص الانجليزي .



عن/حكومة جمهورية الهند



عن/حكومة سلطنة عمان

निम्न रूप में संक्षेप है :

वह लक्ष्मीकान्ते हुए कि उसे निवेद्य का अंतरिक्षीय करार के तहत प्रस्तावित एवं परस्परिक निरक्षण व्यवस्थापन व्यापारिक पहल के प्रेरण में नैतिक सिद्धि और उभरे हुए सिद्धि के अर्थ में अर्थव्यवस्था :

उत्पत्ति है :

सक राज्य के निवेद्यों द्वारा उभरे हुए के अर्थ में अर्थव्यवस्था के प्रस्तावित करने के लिए अर्थव्यवस्था सिद्धि करने की

निवेद्यों को बाध "निवेद्यकारी" कहा जाता है :

अर्थव्यवस्था की संरक्षण और अर्थव्यवस्था की संरक्षण

करार

के लिए

भारत में भारत के संरक्षण

करार

अर्थव्यवस्था संरक्षण के संरक्षण

है

निवेद्य के निवेद्य और निवेद्य

अनुच्छेद I

परिभाषा

उस कएतर के प्रयोगार्थ ;

॥क॥ "कंपनी" का अर्थ है :

॥1॥ अथान के संबंघ में : अथान में प्रवृत्त कानून के अनर्गत

न्यायिक वा गणित निगम, फंड और रानीतिरथान ;

॥1॥ धरत के संबंघ में : धरत के किसी भी भाग में प्रवृत्त

कानून के अनर्गत न्यायिक, गणित वा न्यायिक निगम, फंड

और रानीतिरथान ;

॥ख॥ "निगम" का अर्थ है एतेक प्रकार की परिसंभलित जो उन

निर्वाहकारी एवम निगम में निगमि फियत गवा है, के रान्वीय कानूनी

के अगत रान्वीय अथत अथिधलित की गड है, निगम में निगम के

रकम में परिसंभलित फियत गवा जात भी गणित है रान्वीय निगम रक में,

परिपरकमाक गहते, नितानतिसुन गणित है।

॥1॥ धन और अथल संभलित एवं अथ अथिधर जैसे वधक-धन, गणित, रान्वीय

अथत गिरेवी रथान ;

॥1॥ किसी कंपनी में धीयर रथान उनके रान्वीय और रिसिधर व कंपनी में

अथ एकी प्रकार की गान्धिदारी ;

॥1॥1॥ रान्वीय संघ वाली निर्विद के अनर्गत धन अथत किसी कानू-

नितरथान के अथिधर ;

॥1॥1॥ निर्विधल निर्विदकारी धन के रान्वीय कानून के अगत रान्वीय निर्विधल

अथिधर ;

- § V § कानून द्वारा अथवा संविदा के तहत दी गई व्यापारिक रियासतें जिनमें तेल और अन्य खनिजों की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए रियासतें शामिल हैं ।
- § ग § "निवेशक" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी ;
- § घ § "राष्ट्रिक" का अर्थ है ;
- § I § ओमान के संबंध में : देशजात व्यक्ति जो ओमान संततनत में प्रवृत्त कानून के अनुसार ओमान की राष्ट्रियता रखते हों ;
- § II § भारत के संबंध में : भारत में प्रवृत्त कानून के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ;
- § ड. § "आय" का अर्थ है निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ, ब्याज, पूंजी-लाभ, लाभांश, राबल्टियां तथा शुल्क ;
- § च § "भू-भाग" का अर्थ है :
- § I § ओमान के संबंध में : भूमि, समुद्री क्षेत्र तथा तीर्मांतर्गत जलक्षेत्र और उत्तरे आगे का क्षेत्र जिन पर ओमान संततनत का अपने स्थानीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्तात्मक अधिकार हो ।
- § II § भारत के संबंध में : भारत गणराज्य का भू-भाग जितमें इतका तीर्मांतर्गत जल-क्षेत्र और इतके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट सहित अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिन पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अमिमतमय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार या विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो ।

निवेशों के संबर्धन और संरक्षण

हेतु

ओमान तलतनत की सरकार

तथा

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

ओमान तलतनत की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार
§ जिन्हें इसके बाद "संबिदाकारी षक्ष" कहा गया है § :

एक राज्य के निवेशकों द्वारा दूसरे राज्य के भू-भाग में अधिक
निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करने की
इच्छा रखते हुए ;

बहु त्वीकारते हुए कि ऐसे निवेश का अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत
प्रोत्साहन एवं पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल के प्रेरण में
तथायक सिद्ध होगा और इससे दोनों राज्यों में समृद्धि बढ़ेगी ;

निम्न रूप में सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

परिभाषाएं

इत करार के प्रयोजनार्थ ;

§क§ "कंपनी" का अर्थ है :

§I§ ओमान के संबंध में : ओमान में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित वा गठित निगम, फर्म और स्तोतिशर्तें ;

§II§ भारत के संबंध में : भारत के कितनी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित, गठित वा स्थापित निगम, फर्म और स्तोतिशर्तें ;

§ख§ "निवेश" का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की परिवर्तित जो उत संबिदाकारी पक्ष, जिसके मू-भाग में निवेश किया गया है, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुतार स्थापित अथवा अधिग्रहीत की गई हो, जिसमें ऐसे निवेश के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना भी शामिल है तथा जिसमें विशेष स्व से, यद्यपि एकमात्र नहीं, निम्नलिखित शामिल होंगे ;

§I§ चल और अचल संपत्ति एवं अन्य अधिकार जैसे बंधक-पत्र, गृहणाधिकार अथवा गिरवी रखना ;

§II§ कितनी कंपनी में शेयर तथा उतके स्टॉक और डिबेंचर व कंपनी में अन्य इती प्रकार की भागीदारी ;

§III§ वित्तीय मूल्य वाली संबिदा के अन्तर्गत धन अथवा कितनी कार्द-निष्पादन के अधिकार ;

§IV§ संबंधित संबिदाकारी पक्ष के संगत कानूनों के अनुतार बौद्धिक संपत्ति अधिकार ;

- § V § कानून द्वारा अथवा संविदा के तहत दी गई व्यापारिक रियासतें जिनमें तेल और अन्य खनिजों की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए रियासतें शामिल हैं ।
- § ग § "निवेशक" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी ;
- § घ § "राष्ट्रिक" का अर्थ है ;
- § 1 § ओमान के संबंध में : देशजात व्यक्ति जो ओमान तलतनत में प्रवृत्त कानून के अनुसार ओमान की राष्ट्रीयता रखते हों ;
- § 11 § भारत के संबंध में : भारत में प्रवृत्त कानून के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ;
- § ड. § "आय" का अर्थ है निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ, ब्याज, पूंजी-लाभ, लाभांश, राबलिटियां तथा मुल्क ;
- § च § "भू-भाग" का अर्थ है :
- § 1 § ओमान के संबंध में : भूमि, समुद्री क्षेत्र तथा तीर्मातर्गत जलक्षेत्र और उत्तरे आगे का क्षेत्र जिन पर ओमान तलतनत का अपने स्थानीय कानून एवं अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुतत्तात्मक अधिकार हो ।
- § 11 § भारत के संबंध में : भारत गणराज्य का भू-भाग जितमें इतका तीर्मातर्गत जल-क्षेत्र और इतके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट सहित अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिन पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिमतय तथा अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुतत्ता, प्रभुतत्तात्मक अधिकार या विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो ।

अनुच्छेद 2

करार का कार्यक्षेत्र

बह करार एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किस गर तमी निवेशों पर लागू होगा, जिन्हें इसके कानूनों और विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो, चाहे वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व किस हों या बाद में किस गर हों ।

अनुच्छेद 3

निवेश का संबर्धन एवं संरक्षण

§1§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में निवेश किस जाने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए अनुकूल स्थितिपई सृजित करेगा, तथा ऐसे निवेशों को अपने कानूनों के अनुसार स्वीकृति देगा ।

§2§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेश एवं आब को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में तदैव उचित एवं ताम्बापूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाएगा ।

अनुच्छेद 4

राष्ट्रीय व्यवहार एवं तर्बाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार

§1§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो इसके अपने निवेशकों के निवेशों अथवा किसी तीतरे राज्य के निवेशकों के निवेशों के साथ किस जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

§2§ इसके अलावा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को, उनके निवेशों की आय के संबंध में किए जाने वाले व्यवहार सहित ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो कितनी तीतरे राज्य के निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

§3§ उमर पैरा 1 तथा 2 के उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जासगी कि एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निम्नलिखित के परिणामत्वरूप उत्पन्न कितनी व्यवहार, तरजीह अथवा विशेषाधिकार का कोई लाभ प्रदान करना पड़े :

§क§ कितनी विद्यमान अथवा भावी सीमाशुल्क तेंघ अथवा इती प्रकार का अंतराष्ट्रीय करार जितका यह एक पक्षकार है अथवा बन तकता हो, अथवा

§ख§ कराधान से पूर्णतः अथवा मुख्यतः संबंधित कोई मामला ।

अनुच्छेद 5

स्वामित्वहरण

1. दोनों में से कितनी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं किया जासगा अथवा उन्हें ऐसे उपायों के अधीन नहीं लाया जासगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण के समकक्ष हो, §जिन्हें इसके बाद "स्वामित्वहरण" कहा गया है § तिवार तब जब यह कानून के अनुसार भेदभाव रहित आधार पर जनहित में हो, और उचित एवं साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति दिस जाने के प्रति हो । ऐसी क्षतिपूर्ति स्वामित्वहरण से तुरन्त पूर्व अथवा आतन्न स्वामित्वहरण के तार्वजानिक होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वामित्वहरित निवेश के तही मूल्य की धोतक होगी, इतमें भुगतान की तारीख तक उचित एवं साम्यापूर्ण दर पर ब्याज शामिल होगा।

यह बिना अनुचित विलम्ब के अदा की जायगी, प्रभावी रूप में दूली योग्य होगी और मुक्त रूप में अन्तरणीय होगी ।

2. प्रभावित निवेशक को इस अनुच्छेद के इस पैराग्राफ § 1 § में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार, स्वामित्वहरण करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानून के अन्तर्गत अपने अथवा इसके मामले की तथा अपने अथवा इसके निवेश के मूल्यांकन को उस पक्ष के किसी न्यायिक अथवा अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी से तमीक्षा करवाने का अधिकार होगा । स्वामित्वहरण करने वाला संविदाकारी पक्ष यह तनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयात करेगा कि ऐसी तमीक्षा तत्काल की जाय ।

3. जब एक संविदाकारी पक्ष किसी ऐसी कंपनी की परितंपत्तियों का स्वामित्वहरण करता है जो कि इसके अपने भू-भाग के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित अथवा गठित की गई हो और जितमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के शेयर हैं, तो वह यह तनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के पैरा § 1 § के उपबंध, दूसरे संविदाकारी पक्ष के ऐसे निवेशकों, जो इन शेयरों के मालिक हैं, के निवेश के संबंध में उचित सब साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति तनिश्चित करने हेतु आवश्यक सीमा तक लागू किस जायगी ।

अनुच्छेद 6

हानियों की क्षतिपूर्ति

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को, जितके दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किस गए निवेशों को उत्तरोक्त के भू-भाग में युद्ध अथवा अन्य तमत्र संघर्ष, राष्ट्रिय आपातस्थिति अथवा गृह उपद्रवों के कारण हानियाँ हुई हों, उसे दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण, सुआवजे, क्षतिपूर्ति अथवा अन्य निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान किया जायगा जो किसी ऐसे व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा जो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान करता है । परिणामी भुगतान मुक्त रूप में अंतरणीय होंगे ।

अनुच्छेद 7

निवेश और आय का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा अपने भू-भाग में फिर गर निवेश से संबंधित सभी निधियों का बिना अनुचित विलम्ब के मुक्त अंतरण अनुमेष करेगा । ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

॥क॥ निवेशों को बनाए रखने तथा उनकी वृद्धि के लिए प्रयोग में लाई गई पूंजी और अतिरिक्त पूंजी की राशि ;

॥ख॥ निवल प्रचालनात्मक लाभ जिन्में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में लाभांश और ब्याज शामिल हैं ;

॥ग॥ निवेश से संबंधित कितनी ऋण की वापसी-अदायगिषह, जिन्में ब्याज भी शामिल हैं ;

॥घ॥ निवेश से संबंधित रायल्टियों और सेवा शुल्कों का मुतान;

॥ङ.॥ उनके शेयरों की बिक्री से हुई आय;

॥च॥ बिक्री अथवा आंशिक बिक्री अथवा परितमापन की तिथति में निवेशकों द्वारा प्राप्त आय;

॥छ॥ एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों/राष्ट्रिकों की आय जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश के संबंध में कार्य करते हों ।

2. इत अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित कुछ भी इत करार के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत कितनी क्षतिपूर्ति के अंतरण को प्रभावित नहीं करेगा ।

3. जब तक पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो जाए, इत अनुच्छेद के पैरा 1 के अन्तर्गत मुद्रा अंतरण मूल निवेश की मुद्रा में अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में अनुमेय होंगे। अंतरण की तारीख को प्रचलित विनिमय की बाजार-दर पर ऐसे अंतरण किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8

प्रतिस्थापन

यदि किसी संविदाकारी पक्ष अथवा इसके नामित अभिकरण ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इसके किसी निवेशक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में गैर-वार्णिज्यिक जोखिमों के प्रति किसी क्षतिपूर्ति की गारंटी दी हो और इत करार के अन्तर्गत उनके दावों के संबंध में ऐसे निवेशकों को मुग्तान किया हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष सहमत होगा कि पहला संविदाकारी पक्ष अथवा उसका नामित अभिकरण प्रतिस्थापन के आधार पर उन निवेशकों के अधिकारों का प्रयोग करने और दावों को बनाने रखने का हकदार है। प्रतिस्थापित अधिकार अथवा दावे ऐसे निवेशकों के मूल अधिकारों अथवा दावों से अधिक नहीं होंगे।

अनुच्छेद 9

निवेशक और संविदाकारी पक्ष के बीच विवादों का निपटान

§1 § संविदाकारी पक्ष के निवेशक और दूसरे संविदाकारी पक्ष के बीच इत करार के अन्तर्गत पूर्वोक्त के निवेश के संबंध में किसी विवाद का निपटान विवाद के पक्षकारों के बीच यातचीत के माध्यम से यथासंभव सौहार्दपूर्ण रूप से किया जाएगा।

§2§ ऐता कोई विवाद, जिसे छः महीनों की अवधि के अन्दर तौहार्दपूर्ण रूप से नहीं निपटाया गया हो, यदि दोनों पक्ष सहमत हों, निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

§क§ संविदाकारी पक्ष जितने निवेश को स्वीकार किया हो, के कानून के अनुसार समाधान के लिए उसके तक्षम न्यायिक अथवा प्रशासनिक निकायों को; अथवा

§ख§ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के समाधान नियमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय समाधान को ।

§3§ यदि दोनों पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत दी गई विवाद निपटान प्रक्रिया पर सहमत होने में अतफल रहते हैं अथवा जहाँ विवाद को समाधान के लिए भेज दिया जाता है लेकिन समाधान कार्य-वाहियां, निपटान करार पर हस्ताक्षर करने के बजाय अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं, तो विवाद को माध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है । माध्यस्थता प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

§क§ यदि निवेशक का संविदाकारी पक्ष तथा दूसरा संविदाकारी पक्ष दोनों ही राज्यों तथा दूसरे राज्यों के राष्ट्रों के बीच निवेश विवाद निपटान अभितमय, 1965 के पक्षकार हैं और निवेशक विवाद को लिखित रूप में निवेश विवाद के निपटान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को प्रस्तुत करने पर सहमत हो जाता है तो ऐसे विवाद को उक्त केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा; अथवा

§व§ यदि विवाद के दोनों पक्षकार सहमत हों तो विवाद को तन्माधान, माध्यस्थम और लघुमान्वेषण कार्य-वाहियों संबंधी प्रशासन के लिये अतिरिक्त सुविधा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा; अथवा

§ग§ निम्नलिखित आशोधनों के अधीन, अंतराष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग, 1976 के माध्यस्थम नियमों के अनुसार विवाद से जुड़े दोनों में से कितनी एक पक्ष द्वारा तदर्थ माध्यस्थम अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा :

§।§ नियमों के अनुच्छेद 7 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी अंतराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगला वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो दोनों में से कितनी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है। तीसरा मध्यस्थ दोनों में से कितनी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा।

§।।§ दोनों पक्ष दो महीने के अंदर अपने संबंधित मध्यस्थ नियुक्त करेंगे।

§।।।§ माध्यस्थम पंचाट इस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

§।।।।§ माध्यस्थम अधिकरण दोनों में से कितनी भी पक्ष के अनुरोध पर अपने निर्णय का आधार तथा कारण बताएगा।

अनुच्छेद 10

संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद

1. संविदाकारी पक्षों के बीच इत करार की व्याख्या अथवा प्रयोग से संबंधित विवादों को यथासंभव बातचीत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए ।
2. यदि संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटारा विवाद उत्पन्न होने के समय से छः महीने के अंदर इत प्रकार नहीं किया जा सकता तो यह दोनों में से कितनी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर माध्यम्यम अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. ऐसा माध्यम्यम अधिकरण प्रत्येक पृथक मामले के लिए निम्नानुसार गठित किया जाएगा । माध्यम्यम के लिए अनुरोध प्राप्त के समय से दो महीनों के अंदर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अधिकरण के एक सदस्य को नियुक्त करेगा । ये दोनों सदस्य तब कितनी तीसरे राज्य के राष्ट्रक का चयन करेंगे, जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन से अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । अध्यक्ष की नियुक्ति अन्व दोनों सदस्यों की नियुक्ति की तिथि से दो माह के भीतर की जाएगी ।
4. यदि इत अनुच्छेद के पैराग्राफ ३ में निर्दिष्ट अवधियों के अंदर, आवश्यक नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं, तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, कितनी अन्य करार के न होते हुए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित कर सकता है । यदि अध्यक्ष दोनों में से कितनी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रक हो अथवा उते उक्त कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो उपाध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । यदि उपाध्यक्ष दोनों में से कितनी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रक हो अथवा उते भी

उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वारिष्ठता वाले सदस्य, जो दोनों में से किसी भी तंविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है, को आवश्यक नियुक्तियाँ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

5. माध्यस्थ्यम अधिकरण बहुमत द्वारा अपना निर्णय करेगा । ऐसे निर्णय दोनों तंविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे । प्रत्येक तंविदाकारी पक्ष अधिकरण के अपने सदस्य तथा माध्यस्थ्यम कार्यवाहियों में उसके प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करेगा, अध्यक्ष का खर्च और शेष खर्च तंविदाकारी पक्षों द्वारा बराबर मात्रा में वहन किए जाएंगे । तथापि, अधिकरण अपने विवेक से निर्णय में यह निदेश दे सकता है कि खर्च का बड़ा भाग दोनों तंविदाकारी पक्षों में से किसी एक द्वारा वहन किया जाएगा और यह पंचाट दोनों तंविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । अधिकरण अपनी प्रक्रिया त्वयं निर्धारित करेगा ।

अनुच्छेद ११

कार्मिकों का प्रवेश और निवात

एक तंविदाकारी पक्ष गैर-नागरिकों के प्रवेश और निवात के संबंध में तत्काल-समय पर लागू अपने कानूनों और विनियमों के अधीन दूसरे तंविदाकारी पक्ष के देशजात व्यक्तियों और दूसरे तंविदाकारी पक्ष की कंपनियों द्वारा नियोजित कार्मिकों को निवेशों से संबंधित कार्य करने के प्रयोजन से अपने नू-भाग में प्रवेश करने और रहने की अनुमति प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद 12

प्रयोज्य कानून

1. इस करार के अधीन अन्यथा उपबंधित के अलावा तमत्त निवेश उक्त संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवृत्त कानूनों द्वारा शासित होंगे जहां ऐसे निवेश किए जाते हैं।

2. इस अनुच्छेद के पैरा १ के होने पर भी, इस करार में कुछ भी भेजवान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु अथवा अत्यधिक आपातक परिस्थितियों में भेदभाव-रहित आधार पर सामान्यतया और उपयुक्त रूप से प्रयुक्त अपने कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 13

अन्य नियमों का प्रयोग

यदि वर्तमान करार के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के कानून के उपबंध अथवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत मौजूद अथवा इसके बाद संविदाकारी पक्षों के बीच स्थापित बाध्यताओं में सेते नियम चाहे वे सामान्य हों अथवा विशिष्ट, अतिविष्ट हैं जो दूतरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा निवेश के लिए वर्तमान करार द्वारा प्रदत्त व्यवहार से अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं तो सेते नियम उक्त सीमा तक, जहां तक वे अधिक अनुकूल हैं, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद 14

करार का प्रवृत्त होना

यह करार अनुत्सर्जन के अधीन होगा और अनुत्सर्जन संबंधी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 15

करार की तमयावधि और समाप्ति

§1§ यह करार दस वर्ष की तमयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उसके बाद, दोनों में से कितनी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को करार समाप्ति के अपने इरादे की लिखित सूचना दिए जाने तक स्वतः बढ़ा दिया गया सम्झा जाएगा। यह करार, ऐसी लिखित सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा।

§2§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के अनुसरण में इस करार के समाप्त होने पर भी, यह करार, इसकी समाप्ति की तारीख से पहले किए गए अथवा अर्जित किए गए निवेशों के संबंध में इसकी समाप्ति की तारीख से आगे बीस वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।


जितके ताक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी तरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सम्मन्न इस करार की अरबी, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियाँ तैयार की गई हैं, जिनमें तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



जोमान सततत की तरकार
की
ओर से



भारत गणराज्य की तरकार
की
ओर से

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Contracting Party");

Desiring to create conditions favourable for fostering greater investment by investors of one State in the territory of the other State;

Recognising that the encouragement and reciprocal protection under international agreement of such investment will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both States;

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "companies" means:

(i) in respect of Oman: corporations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in Oman.

(ii) in respect of India; corporations, firms and associations incorporated, constituted or established under the law in force in any part of India;

b) "Investment" means every kind of asset established or acquired, including changes in form of such investment, in accordance with the national laws of the Contracting Party in whose territory the investment is made and in particular, though not exclusively, includes:

(i) Movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens, or pledges;

(ii) shares in, stocks and debentures of a company and any other similar forms of participation in a company;

(iii) right to money or to any performance under contract having a financial value;

(iv) Intellectual property rights in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party;

(v) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for and extract oil and other minerals.

(c) "investors" means any national or company of a Contracting Party;

(d) "nationals" means:

(i) in respect of Oman, natural persons having the Omani nationality in accordance with the Sultanate of Oman Laws.

(ii) in respect of India, persons deriving their status as Indian nationals from the law in force in India.

(e) "Returns" means the monetary amounts yielded by an investment such as profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees;

(f) "territory" means:

(i) in respect of Oman: lands, maritime areas and territorial waters and beyond over which the Sultanate of Oman has sovereign rights in accordance with its local law and the International Law.

(ii) in respect of India: the territory of the Republic of India including its territorial waters and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and continental shelf over which the Republic of India has sovereignty, sovereign rights or exclusive jurisdiction in accordance with its laws in force, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and International Law.

ARTICLE 2

SCOPE OF THE AGREEMENT

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, admitted in accordance with its laws and regulations, whether made before or after the coming into force of this Agreement.

ARTICLE 3

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT

(1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and admit such investments in accordance with its laws.

(2) Investments and returns of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

NATIONAL TREATMENT AND MOST-FAVOURLED-NATION TREATMENT

- 1) Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, treatment which shall not be less favourable than that accorded either to investments of its own investors or to investments of investors of any third State.
- 2) In addition, each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, including in respect of returns on their investments, treatment which shall not be less favourable than that accorded to investors of any third State.
- 3) The provisions of paragraph 1 and 2 above shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
 - (a) any existing or future customs union or similar international agreement to which it is or may become a party, or
 - (b) any matter pertaining wholly or mainly to taxation.

ARTICLE 5

EXPROPRIATION

- (1) Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose in accordance with law on a non-discriminatory basis and against fair and equitable compensation. Such compensation shall amount to the genuine value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at a fair and equitable rate until the date of payment, shall be made without unreasonable delay, be effectively realizable and be freely transferable.

2) The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to review, by a judicial or other independent authority of that Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with the principles set out in paragraph (1) of this Article. The Contracting Party making the expropriation shall make every endeavour to ensure that such review is carried out promptly.

(3) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to ensure fair and equitable compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

ARTICLE 6

COMPENSATION FOR LOSSES

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.

ARTICLE 7

REPATRIATION OF INVESTMENT AND RETURNS

(1) Each Contracting Party shall permit all funds of an investor of the other Contracting Party related to an investment in its territory to be freely transferred, without undue delay. Such funds may include:

- (a) Capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

- (b) Net operating profits including dividends and interest in proportion to their share-holding;
 - (c) Repayments of any loan, including interest thereon, relating to the investment;
 - (d) Payment of royalties and services fees relating to the investment;
 - (e) Proceeds from sales of their shares;
 - (f) Proceeds received by investors in case of sale or partial sale or liquidation.
 - (g) The earnings of citizens/nationals of one Contracting Party who work in connection with investment in the territory of the other Contracting Party.
- (2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall affect the transfer of any compensation under Article 6 of this Agreement.
- (3) Unless otherwise agreed to between the Parties, currency transfer under paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or any other convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer.

ARTICLE 8

SUBROGATION

Where one Contracting Party or its designated agency has guaranteed any indemnity against non-commercial risks in respect of an investment by any of its investors in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investors in respect of their claims under this Agreement, the other Contracting Party agrees that the first Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of those investors. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of such investors.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN AN INVESTOR AND A CONTRACTING PARTY

(1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.

(2) Any such dispute which has not been amicably settled within a period of six months may, if both Parties agree, be submitted

(a) to resolution, in accordance with the law of the Contracting Party which has admitted the investment to that Contracting Party's competent judicial or administrative bodies; or

(b) to international conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.

(3) Should the Parties fail to agree on a dispute settlement procedure provided under paragraph 2 of this Article or where a dispute is referred to conciliation but conciliation proceedings are terminated other than by signing of a settlement agreement, the dispute may be referred to arbitration. The arbitration procedure shall be as follows:

(a) If the Contracting Party of the investors and the other Contracting Party are both parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, 1965 and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes such a dispute shall be referred to the Centre; or

(b) If both parties to the dispute so agree, under the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings; or

(c) To an ad hoc arbitral tribunal by either party to the dispute in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976, subject to the following modifications:

(i) The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.

(ii) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months.

(iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement.

(iv) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.

ARTICLE 10

DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, as far as possible, be settled through negotiations.

(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of the appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the

necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the costs of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its discretion direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 11

ENTRY AND SOJOURN OF PERSONNEL

A Contracting Party shall, subject to its laws applicable from time to time relating to the entry and sojourn of non-citizens, permit natural persons of the other Contracting Party and personnel employed by companies of the other Contracting Party to enter and remain in its territory for the purpose of engaging in activities connected with investments.

ARTICLE 12

APPLICABLE LAWS

(1) Except as otherwise provided in this Agreement, all investment shall be governed by the laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or in circumstances of extreme emergency in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis.

ARTICLE 13

APPLICATION OF OTHER RULES

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.

ARTICLE 14

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification.

ARTICLE 15

DURATION AND TERMINATION

(1) This Agreement shall remain in force for a period of ten years and thereafter it shall be deemed to have been automatically extended unless either Contracting Party gives to the other Contracting Party a written notice of its intention to terminate the Agreement. The Agreement shall stand terminated one year from the date on receipt of such written notice.

(2) Notwithstanding termination of this Agreement pursuant to paragraph (1) of this Article, the Agreement shall continue to be effective for a further period of twenty years from the date of its termination in respect of investments made or acquired before the date of termination of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on this the 2nd day of April, 1997 in two originals each in the English, Arabic and Hindi languages, all texts being equally authoritative.

In case of any divergence, the English text shall prevail.



For the Government of
The Sultanate of Oman



For the Government of
The Republic of India